न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला जयपुर

न्याय आपके द्वार राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी

शिविर प्रभारी अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद पत्र संख्याः 201/2014

दर्ज दिनांकः 03/09/2014

निर्णय दिनांक : 16/05/2018

राजकुमार बाफना पुत्र हनुमानमल बाफना जाति महाजन, निवासीः एफ–298, श्यामपथ, जिला जयपुर।

––वादी

बनाम

1. गोयल रियल इस्टेट डवलपर्स जरिये रामावतार गोयल पुत्र स्व. बंशीधर गोयल जाति महाजन, निवासीः प्लॉट नंबर 2, एकता मार्ग विजयबाडी, ढहर के बालाजी, जयपुर।
2. कल्याण सहाय पुत्र कालूराम सैनी जाति माली निवासीः 24/68, स्वर्णपथ, मानसरोवर, जयपुर।
3. बबीता सक्सैना धर्मपत्नि एम.के सक्सैना जाति कायस्थ, निवासीः प्लॉट नंबर 60, हिम्मतनगर, गोपालपुरा मोड, जयपुर।
4. राजेश कुमार निगम पुत्र भगवत प्रसाद निगम जाति कायस्थ निवासीः 14 ए, नारायण नगर, टोंक रोड, जयपुर।
5. प्रदीप विशम्बर नाथ पुत्र विशम्बरनाथ जाति अग्रवाल महाजन निवासीः 3–4, क्षितिज राणेश्वर दर्शन सोसायटी बासना मोड, बडोदरा, गुजरात।
6. तहसीलदार, तहसील फागी, जयपुर।
7. उपपंजीयक/उपतहसीलदार माधोराजपुरा, तहसील फागी, जयपुर।
8. तारामणी पत्नि नत्थू सिंह
9. वंदना पत्नि निशांत दायम

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

समस्त जातियानः मेघवाल निवासीयानः बी–2/405, चित्रकूट स्कीम, गांधीपथ, वैशालीनगर, जयपुर।

––प्रतिवादीगण

वाद तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नंबर 38/2 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, 39/1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा वाके ग्राम जुगलकिशोरपुरा तहसील फागी में स्थित है। जिसमें वादी का 52/75 हिस्सा है तथा प्रतिवादीगण राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से के खातेदार काश्तकार है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादीगण उपरोक्त भूमि के सहखातेदार है। उक्त भूमि को आगे पैराज में विवादग्रस्त भूमि से संबोधित किया गया है। उपरोक्त विवादित भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है जिसको प्रतिवादी संख्या 1 अपनी उक्त भूमि में कृषि फार्म विकसित करना चाहता है इसी आशय से प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उक्त भूमि में से कृषि फार्म विक्रय किये है जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उक्त भूमि में से प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 5 व वादी को भूमि विक्रय की है तथा जो भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा विक्रय की गई है वह भूमि उसने मौके पर जिस जिस व्यक्ति को जितनी भूमि विक्रय की है उस अनुसार भूमि का मौके पर कृषि फार्म दर्शित करते हुये भूमि विक्रय की है। उसी अनुसार वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से भूमि क्रय कर जहां प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि विक्रय कर वादी को जहां कब्जा संभलवाया है वहां वादी काबिज काश्त चला आ रहा है उसी अनुसार अन्य पक्षकारान जहां उन्हे कब्जा संभलवाया वहां काबिज है। पक्षकारान उक्त विवादग्रस्त भूमि पर अपने–अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त चले आ रहे है। वादी अपने हिस्से अधिक विकसित व उपजाऊ बनाना चाहता है जिसके लिये वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि उसे जहां भूमि विक्रय की है उसे राजस्व रिकॉर्ड में उसी अनुसार इन्द्राज करवाकर भूमि का वास्तविक मौके पर राजस्व रिकॉर्ड के नक्शा ट्रेस में इन्द्राज करावे जिस

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

पर प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी से कहा कि उसने भूमि उसे जो विक्रय की है उसका सहमति के आधार पर नक्शा प्लान दर्शाते हुए भूमि का वास्तविक कब्जा संभला दिया है अब यदि वादी राजस्व रिकॉर्ड में अपना अलग–अलग से अंकन करवाना चाहता है तो वह जरिये तकासमा करावे जिसके लिये वादी के लिये आवश्यक हुआ कि वह उपरोक्त भूमि में तकासमा करावे। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उक्त विवादित भूमि में से लगातार कृषि भूमि विक्रय कर रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 अपनी मनमर्जी से भूमि का नक्शा प्लान बनाबर दीगर व्यक्तियो को विक्रय करता आ रहा है जिसके लिये वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से अभी दिनांक 25.08.2014 को कहा कि वह भूमि का विधिवत तकासमा करावे अपनी मनमर्जी से नक्शा प्लान बनाकर भूमि विक्रय नहीं कर सकता जिस पर प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि उसने भूमि पूर्व में भी विक्रय कर दी है और वह आगे भी इसी प्रकार विक्रय करता रहेगा जिसको आवश्यकता है वह तकासमा करा लेवे। वादी ने उपरोक्त भूमि अपना कृषि फार्म विकसित करने की दृष्टि से क्रय की हे भूमि का विधिवत तकासमा नहीं हो रखा है जिससे वादी अपनी भूमि को अधिक विकसित करने व सरकारी सुविधा प्राप्त करने से लगातार वंचित हो रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 1 बिना तकासमा कराये ही भूमि को विक्रय करने पर उतारू है जिस पर वादी के लिये आवश्यक हुआ कि वह भूमि का विधिवत तकासमा कराने हेतु वाद तकासमा पेश करे। प्रतिवादीगण जो आपस में सहखातेदार है उन्होने एकराय होकर कुछ अजनबी व्यक्तियो को साथ लेकर विवादग्रस्त भूमि पर आये और उन्होने उक्त विवादग्रस्त भूमि में जहां वादी काबिज काश्त है को दिखाकर कहा कि वे उसके हिस्से को उन्हे विक्रय कर देगे तथा जहां वादी काबिज काश्त है वहां काबिज करवा देगे जिस पर वादी ने प्रतिवादीगण से कहा कि विवादग्रस्त भूमि का विधिवत तकासमा नहीं रखा है वे बिना तकासमा कराये किसी से विक्रय नहीं कर सकते जिस पर प्रतिवादीगण वादी पर आग–बबूला हो गये और कहा कि तकासमा हुआ हो या नहीं हम जो हमारे हिस्से को विक्रय कर हर सूरत में वादी के हिस्से पर क्रेता का कब्जा करा देगे ऐसी स्थिति में वादी के लिये यह आवश्यक हुआ कि वह प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। विवादग्रस्त भूमि का विधिवत तकासमा नहीं हो रखा है और यदि प्रतिवादीगण बिना तकासमा कराये ही उसके हिस्से को

अधिकारी
(जयपुर)

Scanned by CamScanner

विक्रय कर वादी को उसके हिस्से से बेदखल कर देगे तो वादी को असहनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ति नहीं हो सकेगी जिससे भी वादी के लिये आवश्यक हुआ कि वह वाद विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करे।

वादी ने वाद के अन्य बिन्दुओ के साथ वाद कारण अंकित करते हुये यह अनुतोष चाहा है कि वादी का वाद विरूद्व प्रतिवादीगण बाबत तकासमा डिक्री फरमाया जावे कि विवादग्रस्त भूमि वर्णित वाद पत्र में वादी को जहां प्रतिवादी संख्या 1 ने भूमि विक्रय कर काबिज करवाया है तथा जिसके बाबत अपनी सहमति नक्शा प्लान बनाकर दी है उसी अनुसार भूमि का तकासमा किया जाकर वादी को वाकई काबिज रखा जाकर उसका हिस्सा अलहदा–अलहदा किया जाकर लगान की फाटबंदी अलग से कायम की जावे। प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी के हिस्से में कब्जे काश्त में मजाहमत नहीं करे न किसी अन्य से करावे तथा पाबंद किया जावे कि वे बिना तकासमा कराये अपने हिस्से को किसी को भी विक्रय या किसी अन्य प्रकार से हस्तांतरण नहीं करे। मौके एवं राजस्व रिकॉर्ड की यथावत स्थिति बनाये रखे। खर्चा वाद वादी प्रतिवादीगण से दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। दिनांक 30.10.2015 को प्रतिवादी संख्या 2 की ओर से श्री सीताराम सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 16.09.2016 को प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व बावजूद रजिस्टर्ड ए. डी. नोटिस तामील न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण एकतरफा कार्यवाही की गयी। दिनांक 10.11.2016 को प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 5 के विरूद्व बावजूद रजिस्टर्ड ए.डी. नोटिस तामील अनु0। प्रतिवादी संख्या 1, 3 व 5 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गयी। वकील प्रतिवादी संख्या 2 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 6 व 7 फोर्मल पक्षकार है जिनके विरूद्व कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है।

वकील पक्षकारान की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के समस्त तथ्यो पर गौर कर दिनांक 09.02.2017 को वादी के वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर आराजीयात का वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1

Scanned by CamScanner

लगायत 5 के मध्य मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किया गया। तहसीलदार फागी को मुताबिक प्राथमिक डिक्री नक्शे कुरेजात तैयार कर न्यायालय में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया। दिनांक 28.08.2017 को प्रार्थीगण तारामणी पत्नि नत्थूसिंह एवं वंदना पत्नि निशांत निवासीः वैशाली नगर, जयपुर ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 10 सी.पी.सी. प्रस्तुत की, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थीगण की ओर से श्री सीताराम सैनी एडवोकेट ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बाद बहस मनन पाया गया कि प्रार्थीगण आराजीयात के सद्भावी क्रेतागण है न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को वाद में प्रतिवादी संख्या 8 व 9 के रूप में पक्षकार कायम किया जाकर वाद पत्र में लाल स्याही से अंकन किये जाने के आदेश दिये गये। वकील प्रतिवादी संख्या 8 व 9 ने जवाबदावा प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया।

वकील पक्षकारान की बहस सुनकर, बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के समस्त तथ्यो पर गौर करने के पश्चात दिनांक 15.02.2018 को न्यायालय द्वारा वादी के वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात खसरा नंबर 38/2 रकबा 13 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 39/1 रकबा 1 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा ग्राम जुगलकिशोरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एवं 8 व 9 के मध्य मौके पर काबिज अनुसार तकासमा किया गया। तहसीलदार फागी को मुताबिक प्राथमिक डिक्री नक्शे कुरेजात तैयार कर दो–दो प्रतियो में न्यायालय में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

दिनांक 06.04.2018 को तहसीलदार फागी से नक्शे कुरैजात प्राप्त हुये, शामिल पत्रावली किये गये। वकील वादी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र नक्शे कुरैजात प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। दिनांक 27.04.2018 को वकील प्रतिवादी ने आपत्ति प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत करने से इंकार करते हुये, सीधे बहस करने का निवेदन किया। वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई। बाद बहस मनन वादी प्रार्थना पत्र बाबत नक्शे कुरैजात आपत्ति स्वीकार किया जाकर वादी की उपस्थिति में उनके राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार व मौके कब्जे के आधार पर पुनः

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

नक्शे कुरैजात प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार फागी को तहरीर जारी करवाई गई।

पत्रावली कैम्प कोर्ट में प्रस्तुत हुई। पक्षकारान उप0। तहसीलदार फागी से नक्शे कुरेजात प्राप्त हुये, शामिल पत्रावली किये गये।

पक्षकारान को सुना गया। पक्षकारान ने नक्शे कुरैजात अनुसार वाद को डिक्री किये जाने में सहमति प्रकट की। पक्षकारान की सहमतिनुसार वादी का वाद मुताबिक नक्शे कुरेजात क्रमांक 18/18 दिनांक 07.05.2018 अनुसार अंतिम रूप से डिक्री किया जाना उचित है।

अतः वादी वाद मुताबिक नक्शे कुरैजात अंतिम रूप से डिक्री किया जाकर वादग्रस्त आराजीयात स्थित ग्राम जुगलकिशोरपुरा, तहसील फागी जिला जयपुर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 5 एवं 8 व 9 के मध्य तकासमा किया जाकर खाता निम्नानुसार अलहदा–अलहदा किया जाता है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम	खसरा नंबर	रकबा
1.	राजकुमार बाफना पु0 हनुमानमल बाफना नि0 एफ–2989 भामपथ, श्यामनगर जयपुर।	38/4	0.08
2.	तारामणी दायमा पत्नि नत्थू सिंह हि. 5/9, वंदना दायमा पत्नि निशांत दायमा हि. 4/9 जाति मेघवाल नि. बी–2/405, चित्रकूट स्कीम, गांधीपथ, वैशाली नगर, जयपुर।	38/3	3.12
3.	कल्याण सहाय पुत्र कालूराम सैनी जाति माली नि. 24/68 स्वर्णपथ, मानसरोवर, जयपुर।	38/5	0.08
4.	गोयल रियल स्टेट डवलपर्स हि. 188/212 पता. प्लॉट नं. 2 एकता मार्ग, विजयबाडी पथ नंबर 7 ढहर के बालाजी जयपुर, बबीता सक्सैना ध.पु. एम.के सक्सैना हि. 8/212 जाति कायस्थ निवासीः प्लॉट नं. एल. 60 हिम्मत नगर, गोपालपुरा मोड, जयपुर, राजेश कुमार निगम पुत्र भगवान प्रसाद निगम हि. 8/212 जाति कायस्थ नि. 14–ए,	38/2 39/1 2	9.03 1.09 10.12

खण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner

	नारायण नगर टोंक रोड, जयपुर, प्रदीप विश्वंभरनाथ पुत्र विश्वम्भरनाथ अग्रवाल हि. 8/212 जाति महाजन नि. 3–4 क्षितिज गणेश्वर दर्शन सोसायटी वासना रोड, बडौदरा, गुजरात।		

तहसीलदार फागी को निर्देशित किया जाता है कि निर्णयानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना स्वयं वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 16/05/2018 को राजस्व लोक अदालत फोलोअप कैम्प कोर्ट फागी में सुनाया गया।

मुद्रा

उपखण्ड अधिकारी फागी जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner